न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु
राजस्व वाद संख्या :– 07/2022

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. रतनलाल पुत्र श्री जोगाराम
2. गोपीलाल पुत्र श्री जोगाराम
जाति सीरवी, निवासी बेरा पोलियावास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी रकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :– 22/3/2022**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार 103 है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में जोगाराम पुत्र गुमनाराम के नाम से दर्ज थी तथा जोगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत वादीगण को करने से जोगाराम फौत होने पर जरिये वसीयतनामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 3243 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रथम बार जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में वादीगण के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज की गयी। जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के बाद की जमाबन्दी की खतौनी के समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा सहवन व भूलवश वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में म्यूटेशन संख्या 94, 106, 568 व 672 व शुद्धिपत्र संख्या 7 का इन्द्राज कर दिया तथा वादीगण के स्थान पर कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया। जबकि म्यूटेशन संख्या 94, 106, 568 व 672 व शुद्धिपत्र संख्या 7 न तो वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बंधित है, न ही उक्त म्यूटेशन संख्या 94, 106, 568 व 672 व शुद्धिपत्र संख्या 7 वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में दर्ज किया गया। म्यूटेशन संख्या 94, 106, 568 व 672 की नकल वाद पत्र के साथ पेश है। शुद्धिपत्र संख्या 7 की नकल हेतु वादीगण के अधिवक्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बिलाड़ा को आवेदन किया तथा नियत अवधि में सूचना नही देने पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के यहा अपील पेश की। जिसका लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिया कि सम्बंधित रिकार्ड यानि शुद्धिपत्र संख्या 7 तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। इसलिए चाही गई सूचना नही दी जा सकती। जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को पारित आदेश द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की अपील को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में उक्त किया गया गलत इन्द्राज व वर्तमान जमाबन्दी संवत्

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2075 से 2078 में भी यथावत् रूप से दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में सहवन से व भूल वश किये गये उपरोक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त व हटाया जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की पुनः स्थिति जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है तथा वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी से निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए मना कर दिया कि प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में हल्का पटवारी द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु सक्षम नही है। वादीगण इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करे। इसलिए वाद बाबत् वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में उपरोक्त अनुसार किये गये गलत इन्द्राज के सम्बंध में रेकर्ड दुरूस्ती व खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा सहवन व भूलवश से वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में दर्ज किये गये इन्द्राज वाले व्यक्तियों को वादीगण न तो जानते है व न ही पहचानते है न ही गलत इन्द्राज वाले व्यक्ति प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में गलत इन्द्राज के जरिये दर्ज खातेदार कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी को पक्षकार नही बनाया है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 व जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज गलत इन्द्राज कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी सा. देह का नाम हटाया जाकर पुनः वादग्रस्त कृषि भूमि की स्थिति जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार बहाल/दुरूस्त किये जाने व वादीगण का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में बतौर पूर्व स्थिति अनुसार खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा/प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरावाईज जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 वर्तमान जमाबन्दी चौसाला संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 103 में दर्ज प्रविष्टि कालूराम पुत्र घीसाराम, गैरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिंकी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम दर्ज है। जो गलत प्रविष्टि है पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नम्बर 1 के टुकड़े होने पर नया पटवार मण्डल बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय बनने से दोनो पटवार मण्डलों की नई कम्प्यूटर कृत जमाबन्दी तैयार करते समय खाता फाटबांछ करते समय काश्तकार विवरण इन खसरा नम्बरों चक नम्बर 1 के स्थान पर चक नम्बर 1 द्वितीय के काश्तकार स्वतं दर्ज हो गये। जो सही नही है, सही प्रविष्टि गोपीलाल पुत्र जोगाराम व रतनलाल पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पोलियावास तहसील बिलाड़ा है। जमाबन्दी में दर्ज नामान्तरकरण को शुद्धिपत्र संख्या 7 से इन खसरों का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कोई लेना देना नही है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 व जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज गलत प्रविष्टि कालूराम पुत्र घीसाराम, गैरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिंकी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी का नाम हटाया जाकर जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार गोपीलाल पुत्र जोगाराम व रतनलाल पुत्र जोगाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का किसी प्रकार का खण्डन न करके वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ के अनुसार वाद डिक्री किये जाने की अनुशंषा की। इसलिए तनकीयात कायम नही की गयी तथा पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु मुकर्रर की गयी। वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खाता संख्या 516 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 तक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, खाता संख्या 96 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 की जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 तक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, खाता संख्या 103 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 तक की ई प्रति प्रदर्श 3, म्यूटेशन संख्या 94, 106, 568 व 672 की सत्य प्रतिलिपि क्रमश प्रदर्श 4, 5, 6, 7, शुद्धी पत्र संख्या 7 के सम्बंध मे सूचना हेतु तहसीलदार बिलाडा लोक सूचना अधिकारी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित आवेदन पत्र, पोस्टल आर्डर की मूल की फोटो प्रति, पोस्टल रसीद व ट्रेकिंग रिपोर्ट की प्रति क्रमश प्रदर्श 8, 9, 10, 11 व प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित अपील मीमों की मूल की फोटो प्रति, पोस्टल रसीद की मूल प्रति व अपील में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति क्रमश प्रदर्श 12, 13, 14 प्रदर्शित करवाये।

पत्राबली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी की दुरूस्ती के सम्बंध में सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 व जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज गलत इन्द्राज कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी सा. देह का नाम हटाया जाकर पुनः वादग्रस्त कृषि भूमि की स्थिति जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार दुरूस्त/शुद्धि किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज गलत इन्द्राज कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी सा. देह का नाम हटाया जाकर पुनः उपरोक्त तीनों खसरान की वादग्रस्त कृषि भूमि की स्थिति जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार दुरूस्त/शुद्धि किया जाकर वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी सवत् 2055 से 2058 के अनुसार उपरोक्त तीनों खसरो के सम्बंध में शुद्धि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि के अनुसार इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी :– सोहन लाल, (आई.ए.एस) प्रशिक्षु

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. रतनलाल पुत्र श्री जोगाराम 2. गोपीलाल पुत्र श्री जोगाराम जाति सीरवी, निवासी बेरा पोलियावास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 07/2022

निर्णय दिनांक :– 22/3/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 889 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 889/4693 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा संख्या 893 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.4126 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज गलत इन्द्राज कालूराम पुत्र घीसाराम, गेरकी पत्नी गोपाराम, गोपीलाल पुत्र गोपाराम, जोगाराम, दिनेश पुत्र गोपाराम, पिन्कीदेवी पुत्री गोपाराम, माधूराम पुत्र गोपाराम, रतनलाल पुत्र गोपाराम, श्यामदेवी पुत्री गोपाराम, शिम्भूराम पुत्र हुकमाराम जातियान सीरवी सा. देह का नाम हटाया जाकर पुनः उपरोक्त तीनों खसरान की वादग्रस्त कृषि भूमि की स्थिति जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार दुरूस्त/शुद्धि किया जाकर वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी सवत् 2055 से 2058 के अनुसार उपरोक्त तीनों खसरो के सम्बंध में शुद्धि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि के अनुसार इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/3/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सोहन लाल)
(I.A.S.) प्रशिक्षु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा